न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **16/2018 अपील रसद**

श्री देवीलाल पिता श्री चतुर्भुज पालीवाल, उचित मुल्य दुकान घाटा, ग्राम पंचायत काछबा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अपीलार्थी**

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**रेस्पोडेंट**

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी, उदयपुर मुकदमा नम्बर 51/17 रसद तारीख फैसल 10.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री झालमसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—12.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उचित मुल्य दुकान घाटा ग्राम पंचायत काछबा का संचालन किया जाता रहा हैं। दिनांक 22.07.17 को जॉच दल द्वारा सेन्टर घाटा का सम्पुर्ण रेकार्ड लेकर गोगुन्दा क्रय विक्रय सहकारी समिति पर बुलाकर रेकार्ड का अवलोकन किया गया। मात्र प्रकरण बनाने की गरज से निम्न अनियमिताएँ बतायी गईः—

1. डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. स्टॉक एवं मुल्य प्रदर्शन नहीं पाया गया

3. खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची दुकान पर उपलब्ध नहीं मिली।

4. दुकान में स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर 80.09 क्विंटल गेहूँ, 1 लीटर केरोसीन व 93 किलो चीनी का स्टॉक अधिक मिला, साथ ही गेहूँ का पोस मशीन में गलत तरीके से अधिक स्टॉक चढाया जाकर 8.01 क्विंटल गेहूँ फर्जी ट्रांजेक्शन किये। जिला रसद अधिकारी द्वितीय उदयपुर द्वारा पुलिस थाना गोगुन्दा में प्रकरण संख्या 210/17 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण दर्ज कराया जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर से वास्ते चार्ज दिनांक 26.06.18 को नियत हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिया गया जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया। वास्तविकता यह है कि माह सितम्बर 2016 से जुलाई 2017 तक कुल गेहूँ 95500 किलो प्राप्त हूआ। बिल संख्या 5099 दिनांक 23.09.16 से प्राप्त 40 क्विंटल गेहूँ का अंकन हॉल सेलर द्वारा जॉच दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया। मात्र 55 क्विंटल गेहूँ का ही उपलब्ध कराया गया था जो कि बिल संख्या 5094 दिनांक 08.09.16 से प्राप्त हुआ। वक्त निरीक्षण दिनांक 01.09.16 को पूर्व का 44.25 क्विंटल गेहूँ का अंकन भी जॉच दल द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में नहीं किया गया हैं। इस प्रकार कुल सितम्बर 16 से 21.07.17 तक सेन्टर पर 999.25 क्विंटल गेहूँ प्राप्त हुआ और 918.35 क्विंटल गेहूँ का वितरण किया गया। 80.90 क्विंटल गेहूँ भौतिक सत्यापन करने पर शेष रहे थे जो स्वीकार हैं। इसी प्रकार चीनी के संबंध में निवेदन है कि चीनी का प्रारम्भिक पोते 112 किलोग्राम थी। जबकि जॉच दल द्वारा प्रारम्भिक पोते नहीं बताया हैं। वक्त जॉच 345 किलोग्राम चीनी उपलब्ध होने के बावजुद भी बिना तौल ही जॉच दल द्वारा अंदाज से 350 किलोग्राम चीनी लिख दी गई। इस प्रकार जॉच दल द्वारा 93 किलोग्राम चीनी अधिक होने का जो कथन किया गया है वह गलत हैं। केरोसीन मौके पर पुरा था। विभाग द्वारा 6ए के प्रकरण में 80.09

क्विंटल गेहूँ 93 किलो चीनी व 01 लीटर केरोसीन राज्यसात करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.04.18 के अनुसार 80.09 क्विंटल गेहूँ व 1 लीटर केरोसीन का स्टॉक व आपूर्ति के हिसाब से सही माना व राज्यसात नहीं माना। केवल मात्र स्टॉक रजिस्टर की प्रति पेश नहींकरने के कारण 69.50 क्विंटल चीनी को राज्यसात करने का निर्णय दिया जिसकी अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 6 (सी) में माननीय जिला व सेशन न्यायालय में अपील स्टॉक रजिस्टर की प्रति के साथ पेश कर दी जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। जॉच दल द्वारा मात्र परेशान करने के कारण गलत प्रकरण बनाया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी वास्तविक स्थिति का ज्ञान किये बिना अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र अपने आदेश दिनांक 10.05.18 से खारीज कर दिया गया। जिसे पुनः बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 22. 07.17 को अपीलार्थी की उचित मुल्य की दुकान घाटा का समस्त रेकार्ड लेकर गोगुन्दा क्रय विक्रय सहकारी समिति पर बुलाकर रेकार्ड का अवलोकन कर केवल मात्र प्रकरण बनाने की गरज से चार बिन्दु पर प्रकरण बना दिया गया जिसमें बिन्दु संख्या 4 में लिखा गया की भौतिक सत्यापन पर 80.09 क्विंटल गेहूँ, 1 लीटर केरोसीन व 93 किलो चीनी का स्टॉक अधिक मिला साथ ही गेहूँ का पोस मशीन से गलत तरीके से अधिक स्टॉक चढाया जाकर 8.01 क्विंटल गेहू का फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 22.07.17 को निरीक्षण के दिन 01.09.16 से पूर्व का 44.25 क्विंटल गेहूँ पोते था। जिसको जॉच दल द्वारा नहीं जोड़ा

गया एवं थोक विक्रेता द्वारा माह सितम्बर 2016 में बिल संख्या 5099 दिनांक 23.09.16 से प्राप्त 40 क्विंटल गेहूँ का अंकन हॉल सेलर द्वारा जॉच दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया। हॉल सेलर द्वारा मात्र 55 क्विंटल गेहूँ का ही उपलब्ध करवाया गया था। जो कि बिल संख्या 5094 दिनांक 08.09.16 से प्राप्त हुआ था। वक्त निरीक्षण दिनांक 01.09.16 के पूर्व का 44.25 क्विंटल गेहूँ का अंकन भी जॉच दल द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में नहीं किया गया। भौतिक सत्यापन पर 80.90 क्विंटल गेहूँ शेष रहे थे जो सही हैं। चीनी में भी 112 किलोग्राम चीनी 01.09.16 को प्रारम्भिक पोते थी। जो भी जॉच दल द्वारा अपनी जॉच में नहीं ली गई। जबकि जॉच दल द्वारा 93 किलोग्राम चीनी अधिक होने का कथन किया गया है जो गलत हैं। केरोसीन भी मौके पर पुरा था। 1 लीटर केरोसीन जबरदस्ती कमी बताकर परेशान करने की नियत से लिख दिया गया। पूर्व में भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 6ए का प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया गया था जिसमें 80.09 क्विंटल गेहूँ 93 किलोग्राम चीनी व 1 लीटर केरोसीन राज्यसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.18 से गेहूँ पुनः सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये थे। लेवी चीनी 69.50 क्विंटल को राज्यसात किये जाने के जो आदेश दिये गये है उसकी भी अपील माननीय जिला सेशन न्यायालय में की गई हैं। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। मात्र दुकानदार को परेशान करने के कारण जॉच दल द्वारा प्रकरण बनाया गया। जबकि किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई हैं। नाही कोई ठोस सबुत हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह आदेश कानुन सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करते हुए पुनः वितरण व्यवस्था प्रदान की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मेमो

में नितांत असत्य कथन किये गये हैं कि जॉच दल द्वारा सेन्टर घाटा पर नहीं जाकर क्रय विक्रय सहकारी समिति गोगुन्दा पर रेकार्ड सहित बुलाकर प्रकरण बनाया गया। अपीलार्थी की अपील में ही विरोधाभास कथन हैं। एक तरफ तो उसके द्वारा जॉच दल का सेन्टर घाटा पर नहीं जाना बताया गया दूसरी ओर उसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि 80.90 क्विंटल गेहूॅ भौतिक सत्यापन करने पर शेष रहे थे जो स्वीकार है। साथ ही यह कथन भी किया गया है कि केरोसीन मौके पर पूरा था परन्तु एक लीटर की जबरदस्ती कमी बताकर परेशान करने की नियत से अंकित कर दिया गया हैं। जॉच दल द्वारा जो निरीक्षण पर्चा कायम किया गया है जिसमें दिनांक 22.07.17 में अपीलान्ट देवीलाल के स्वयं के हस्ताक्षर हैं। भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर देवीलाल द्वारा यह भी बताया कि उसके द्वारा मशीन में स्टॉक भूल से गलत दर्ज हो गया है। वास्तविकता यह है कि जॉच दल द्वारा अपीलार्थी की उचित मुल्य की दुकान घाटा पर जाकर विस्तृत जॉच की गई। डीलर द्वारा सितम्बर 2016 के स्टॉक रजिस्टर मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर 2017 का था। इसलिये इसका प्रारम्भिक स्टॉक शून्य मानते हुए गणना की गई। पोस मशीन से एसएसओ पोर्टल से पोस की ट्रान्जेक्शन समरी दिनांक 01.09.16 से 21.07.17 से बिक्री ली गई। मशीन से जॉच दिनांक को डे रिपोर्ट के अनुसार गेहूॅ की बिक्री 970 किलोग्राम ली गई। इस प्रकार दुकान पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन की सही स्थिति मालुम करने के लिये केरोसीन गेहूॅ व चीनी की आपूर्ति तथा डीलर के वितरण की स्थिति जिला रसद कार्यालय से ली गई। सम्पूर्ण जॉच पर पाया कि स्टॉक के मुकाबले 80.09 क्विंटल गेहूॅ अधिक मिला। 1 लीटर केरोसीन अधिक मिला एवं 93 किलो चीनी अधिक मिली। 8.01 क्विंटल गेहूॅ के फर्जी ट्रान्जेक्शन किये गये। 6ए का जो प्रकरण अपीलार्थी के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उसमें भी श्रीमान के आदेश दिनांक 09. 04.18 से अपीलार्थी को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ

(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन माना गया हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज करवायी गई एफआईआर में भी थानाधिकारी पुलिस थाना गोगुन्दा द्वारा अनुसंधान के दौरान जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पाये जाने से अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 13.11.17 को चालान कता किया गया। जो जैर ट्रायल कोर्ट है यानिकी पुलिस अनुसंधान में भी अपीलार्थी को आरोपित माना गया हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है वह सही हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मेमो में ही दोहरी बात कही गई हैं। एक तरफ तो जॉच दल का सेन्टर पर नहीं जाना बताया गया है एवं दुसरी तरफ गेहूॅ का भौतिक सत्यापन किया जाना बताया गया हैं। उसे सही माना गया हैं। यदि अपीलार्थी के पास में दिनांक 01.09.16 को गेहूॅ चीनी व केरोसीन स्टॉक में था तो वक्त निरीक्षण जॉच दल को स्टॉक रजिस्टरो को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये था जबकि वक्त निरीक्षण सितम्बर 2016 के स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रारम्भिक स्टॉक शून्य मानते हुए गणना की गई हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत 6ए के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी को क्लीन चीट नहीं दी गई हैं। अपीलार्थी को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किये जाने का दोषी माना गया हैं। अपीलार्थी को पुलिस द्वारा भी 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषी मानते हुए थानाधिकारी गोगुन्दा द्वारा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत

जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना माना गया हैं। इसी नियम के तहत खण्ड 8 के तहत प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत खारीज किया गया हैं। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार से कानुनो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर